

सामान्य अनुदेश

- 1 यदि एक ही व्यक्ति नामित हो तो "व्यक्तियों" शब्द काट दिया जाय।
- 2 सरकारी कर्मचारी, अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान के आर-पार लाइन खींच दे ताकि, उसके हस्ताक्षर करने के बाद कोई और नाम न लिखा जा सके।
- 3 कालम क. 4 इस प्रकार भरा जाए कि संपूर्ण जमा रकम का उल्लेख हो जाए।
- 4 यदि जमाकर्ता हिन्दु, मुसलमान, बौद्ध या भारतीय उत्तराधिकार (1925 का XXXIV) से अपवाद माना गया अन्य कोई व्यक्ति न हो तो यह नामन उसके विवाह या पुनर्विवाह पर भविष्य निधि के मामले में पूर्व रद्द माना जाएगा।
- 5 भविष्य निधि/मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान नामांकन के संबंध में यदि रेलवे कर्मचारी का परिवार हो तो उसमें से कोई सदस्य अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों का नामांकन किया जा सकता है।
- 7 ग्रुप बीमा योजना के नामांकन के संबंध में परिवार के किसी सदस्य/सदस्यों के नाम का ही नामांकन किया जा सकता है। यदि रेलवे कर्मचारी का परिवार न हो तो वह नामांकन नहीं करेगा।
- 8 जहां तक संभव हो घोषणा पत्र जमाकर्ता के हाथों से हिन्दी/अंग्रेजी में स्याही से लिखा हुआ होना चाहिए और दोनों साक्षकर्ताओं की एक साथ उपस्थिति में और सामने हस्ताक्षर किये जाने चाहिए और इन तीनों ने उनके हस्ताक्षर पुरा कार्यालयीन पदनाम और पता लिखना चाहिए।
- 9 यदि जमाकर्ता अनपढ़ हो तो वह साक्षकर्ताओं के सामने प्रिंटर की स्याही से उसके बाएं अंगुठे का निशान लगाएगा और अन्य अनुदेश ध्यान से देखेगा।
- 10 घोषणा पत्र में किसी प्रकार से किया गया सुधार, काटछाट, लिखाई के उपर लिखाई, अन्तर्वेशन नहीं चलेगा।
- 11 संपूर्ण शब्द अथवा प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय भाग अथवा शब्द या आंकड़ों में बतायी गयी विशिष्ट रकम कॉलम क. 4 में दर्शानी चाहिए।
- 12 प्रतिबंधित घोषणा-पत्र वैध नहीं है।
- 13 एक बार बनाया वैध घोषणा पत्र सिर्फ नया घोषणा पत्र बनाने के बाद ही रद्द समझा जाये।
- 14 भविष्य निधि के नामांकन के मामले में खाता कमांक सही होना चाहिये।
- 15 भविष्य निधि के नामांकन के संबंध में जिस कर्मचारी का परिवार न हो और यह किसी दूसरे व्यक्ति को नामित करना चाहता हो तो उसे 5000/- रु. से अधिक तक शेष राशि का भुगतान के लिये भविष्य निधि अधि. 1925 की धारा 4 के अनुसार कानूनी कागजात प्रस्तुत करने चाहिये।

GENERAL INSTRUCTIONS

1. The word "Persons" shall be struck off, if only one person is nominated.
2. The government servant should draw line across space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.
3. Column No. 4 should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.
4. The amount of share shown in column No. 7 should cover the whole amount/share payable to the original nominees.
5. When subscriber is not a Hindu, Muslim, Buddhist, or any other person exempted from option on the Indian Succession Act 1925 (XX of 1925) this nomination shall forthwithstand cancelled in its entirety on his marriage or remarriage in case of PF nomination.
6. In the case of PF/DCRG nomination, in case the Railway employee has a family, only a member of the family can be nominated otherwise other person(s) can be nominated.
7. In the case of GIS nomination, nomination can only be in favour of member(s) of family, if the railway employee does not have a family, he can make any nomination.
8. The declaration should be written in Hindi/English in ink in the handwriting of the depositor, whenever possible and must be signed by him in presence of both the witnesses together and the full (official) designation and address of the three given after their respective signatures.
9. If the depositor is illiterate, he must affix his left thumb impression in printer's ink before the witness, the other instructions being carefully observe.
10. There should not be any correction erasures, overwriting or interpolation in the declarations.
11. The word "whole" or the share payable to each nominee or a specified sum expressed in words as well as in figures should be shown in column
12. A conditional declaration is not valid.
13. A valid declaration once executed can be revoked only by executing a fresh declaration.
14. In case of PF nomination, correct account no. should be indicate.
15. In case of PF nomination where the employee does not have a family and wishes to nominate any other person legal documents required and Section 4 of the PF Act 1925 will be required for payment in case sum or balance exceeds Rs. 5000/-.